सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 157 राँची, गुरुवार, 18 फाल्गुन, 1938 (श०)
9 मार्च, 2017 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

8 मार्च, 2017

संख्या-8/विविध/104/2017/न०वि०आ०-1601-- नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीनस्थ कार्यरत स्थानीय नगर निकायों के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जिसमें आधार संख्या की अनिवार्यता है ।

2. अद्यतन आंकड़ों के अनुसार झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में शून्य से पांच वर्ष की आयु वर्ग में मात्र 47.51 प्रतिशत बच्चों का आधार पंजीकरण किया जा सका है ।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि सभी स्थानीय नगर निकायों द्वारा आधार पंजीकरण संख्या अथवा आधार पंजीकरण संख्या उपलब्ध नहीं रहने पर Enrolment Id की अनिवार्यता के आधार पर ही जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 157--50